



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बरतार, दन्तेवाड़ा
(छत्तीसगढ़)

-0 आदेश 0:-

क्रमांक / 954 / सां.लि. / COVID-19 / 2021

दन्तेवाड़ा दिनांक 26/05/2021

कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/889/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 15.05.2021 एवं सहपठित आदेश क्रमांक/935, दिनांक 21.05.2021 के माध्यम से दक्षिण बरतार दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला दक्षिण बरतार दन्तेवाड़ा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं, जिसके कारण दक्षिण बरतार, दन्तेवाड़ा जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/889/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 15.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक/935 दिनांक 21.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं दीपक सोनी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बरतार दन्तेवाड़ा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :-

1. आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी :-
 - i सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल/थियेटर बंद रहेंगे ।
 - ii स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे । छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी । शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी ।
 - iii सभी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
 - iv वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी । भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक/40-2/2020-डी.एम./1(ए), दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी । इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी ।
2. सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 06.00 बजे तक खुले रहेंगे ।


परन्तु गोमरता लायसेंस के शर्तों के अनुरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह में एक दिन बंद रखना होगा।

- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अवधि में फास्ट फूड (चाट-गुपचुप, समोसा आदि) विक्रय केवल टेकअव (Only Take away) के माध्यम से की जा सकेगी। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार होम होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। उपरोक्तानुसार समस्त दुकानदारों/संचालकों एवं होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा।
- 3 दुग्ध वितरण की अनुमति रात्रि 08.00 बजे तक होगी।
 - 4 कोविड प्रोटोकाल व श्रमिक सुरक्षा नियमों तथा निर्देशों के पालन किये जाने के शर्त पर सभी शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों को अनुमति होगी।
 - 5 उपरोक्त अवधि के दौरान कृषि, वनोपज संग्रहण एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों संबंधी समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकाल अंतर्गत सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन के शर्त पर संचालित रहेंगे।
 - 6 क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन/टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत् रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समयरात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
 - 7 दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये, कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत् टोकन/ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत् रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनीक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
 - 8 पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेन्सियां टेलीफोनिक या आनलाइन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
 - 9 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी दन्तेवाड़ा द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेसनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
 - 10 सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।



Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

- 11 मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।
- 12 प्रतिदिन संध्या 06.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी । आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा ।
- 13 आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी ।
- 14 आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें । भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है ।
- 15 यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
- 16 बैंक एवं पोस्ट ऑफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कोविड गाईड लाईन का पालन करते हुए सभी प्रकार का लेनदेन (ग्राहक सेवा) कार्यालयीन समय तक अनुमति होगी ।
- 17 लोक सेवा केन्द्र एवं च्याईस सेंटर कार्यालयीन समय तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के अतिरिक्त केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी ।
- 18 अपरिहार्य परिस्थितियों में दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों/चिन्हांकित वालेन्टियर्स की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप मान्य किया जायेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एस.डी.एम. द्वारा भी पास जारी किये जायेंगे । रेल/बस/हवाई यात्रा के माध्यम से जिले में आने वाले यात्रियों का कोविड-19 जांच अनिवार्य होगा ।



Collector
Dakshin Baster
DANTEWAADA (C.G.)

- 19 कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
- 20 सी.जी. टीका रजिस्ट्रेशन पश्चात् टीकाकरण हेतु संबंधित हितग्राही को पर्यी के साथ टीकाकरण केन्द्र में पहुंचना अनिवार्य होगी।
- 21 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 सैम्पलिंग टीम द्वारा कभी भी सैम्पलिंग की जा सकती है। संबंधित व्यक्तियों को सैम्पलिंग कराना अनिवार्य होगा, मोबाईल सर्विलेंस टीम भी समय-समय पर कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने हेतु भ्रमण पर रहेगी एवं उनके द्वारा नियमानुसार चालानी/दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 22 जिले के नगरीय निकाय/ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक हाट-बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- 23 राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
- 24 उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों को आकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा।


उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 27.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।




(दीपक सोनी)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./ 955/सां.लि./COVID-19/2021
प्रतिलिपि :-

दन्तेवाड़ा दिनांक 26/05/2021

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
3. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
6. कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दन्तेवाड़ा/किरन्दुल की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. सर्व विभाग /कार्यालय प्रमुख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
13. महाप्रबंधक, एन.एम.डी.सी. बचेली/ किरन्दुल
14. जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।
16. सहायक संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
17. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
18. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
19. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद /नगर पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
20. सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
21. नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856-252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।



(दीपक सोनी)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा